

बिहार सरकार  
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

संचिका संख्या-5/अ0प्र0-01-02/2019

1266

/पटना दिनांक-25.2.2020

राज्य कर्मियों को रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ प्रदान करने संबंधी वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित संकल्प ज्ञापांक-7566 दिनांक-14.07.2010 बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली-2010, पत्रांक-8928 दिनांक-15.11.2017 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य संकल्पों/परिपत्रों के आलोक में दिनांक-29.01.2020 को आयोजित विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक में समिति द्वारा की गयी अनुशंसा के अनुरूप ग्रामीण कार्य विभाग संवर्ग के निम्नांकित सहायक अभियंताओं को उनके नाम के सामने स्तम्भ-7 में अंकित तिथि से स्तम्भ-8 में अंकित वेतनमान में द्वितीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-


क्रमांक	बैठक की कार्यवाही का क्रमांक	नाम/गृह जिला	वरीयता क्रमांक वर्ष 2016	जन्म तिथि	प्रथम योगदान की तिथि एवं नियुक्ति का पद	द्वितीय रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन की देय तिथि (20 वर्ष)	द्वितीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का वेतनमान/वेतन स्तर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	श्री पुष्कर प्रसाद/पूर्वी चम्पारण	367	05.11.1962	01.07.1987 तदर्थ स0अ0	28.03.2012	पी0बी0-3, ग्रेड पे-6600 (दिनांक 01.01.16 के प्रभाव से वेतन स्तर-12)
2	4	श्री जयप्रकाश नारायण/सुपौल	230	06.06.1959	02.07.1987 तदर्थ स0अ0	01.01.2009	पी0बी0-3, ग्रेड पे-6600 (दिनांक 01.01.16 के प्रभाव से वेतन स्तर-12)
3	11	श्री ऐनुल हक/गोपालगंज	381	15.05.1960	06.07.1987 तदर्थ स0अ0	28.03.2012	पी0बी0-3, ग्रेड पे-6600 (दिनांक 01.01.16 के प्रभाव से वेतन स्तर-12)
4	18	श्री सुनील/पटना	357	05.12.1969	31.03.1999 क0अ0	31.03.2019	वेतन स्तर-11
5	24	श्री विनोद कुमार दत्त/ मधुबनी	115	13.07.1961	04.01.1988 क0अ0	01.01.2009	पी बी-3 ग्रेड पे-5400 (दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से वेतन स्तर-11)
6	28	श्री श्याम सुन्दर राय/रोहतास	327	31.12.1962	23.02.1988 क0अ0	01.01.2009 (निन्दन की शास्ति अधिरोपित होने के कारण दि0-01.04.12 के प्रभाव से देय)	पी बी-3 ग्रेड पे-5400 (दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से वेतन स्तर-11)
7	29	श्री नन्द किशोर साह/ भागलपुर	JE179	28.01.1961	18.01.1988 क0अ0	01.01.2009	पी बी-3 ग्रेड पे-5400
8	30	श्री नरेश कुमार चौधरी/औरंगाबाद	353	30.10.1965	18.01.1988 क0अ0	01.01.2009	पी बी-3 ग्रेड पे-5400 (दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से वेतन स्तर-11)
9	50	श्री उपेन्द्र प्रसाद/गया	324	18.07.1959	04.01.1988 क0अ0	01.01.2009	पी बी-3 ग्रेड पे-5400 (दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से वेतन स्तर-11)

Okz Pwiz 20


10	58	हारून रशीद/सीवान	-	02.01.1956	27.06.1987 तदर्थ स0अ0	01.01.2009	पी बी-3 ग्रेड पे-5400 (दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से वेतन स्तर-11)
11	59	श्री नित्यानन्द कुमार/समस्तीपुर	67	20.01.1962	19.01.1987 क0अ0	01.01.2009	पी बी-3 ग्रेड पे-5400 (दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से वेतन स्तर-11)
12	60	श्री सच्चिदानन्द सिन्हा/नवादा	JE100	02.05.1960	08.01.1988 क0अ0	01.01.2009	पी बी-3 ग्रेड पे-5400 (दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से वेतन स्तर-11)
13	61	श्री लाल बहादुर प्रसाद/रोहतास	340	04.01.1960	10.03.1988 क0अ0	01.01.2009	पी बी-3 ग्रेड पे-5400 (दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से वेतन स्तर-11)
14	77	श्री अजय कुमार/पटना	334	08.12.1962	02.01.1988 क0अ0	01.01.2009	पी बी-3 ग्रेड पे-5400 (दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से वेतन स्तर-11)
15	78	श्री सत्येन्द्र नारायण राय/रोहतास	358	16.11.1965	01.04.1999 क0अ0	01.04.2019	वेतन स्तर-11
16	84	श्री अरविन्द कुमार/सुपौल	JE 64	25.08.1959	14.01.1988 क0अ0	01.01.2009	पी बी-3 ग्रेड पे-5400 (दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से वेतन स्तर-11)
17	91	श्री प्रेमचन्द्र गुप्ता/दरभंगा	JE385	16.06.1966	29.09.1995 क0अ0	29.09.2015	पी बी-3 ग्रेड पे-5400 (दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से वेतन स्तर-11)
18	96	श्री वीरेन्द्र प्रसाद/जहानाबाद	30	17.12.1957	04.09.1989 स0अ0	04.09.2009	पी बी-3 ग्रेड पे-7600

- वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप उपर्युक्त सहायक अभियंताओं का वेतन नियतिकरण रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के परिशिष्ट-1 के नियम-4 के अनुसार किया जाएगा। मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) ए (प) में निहित प्रावधान के आलोक में वेतन निर्धारण संबंधी विकल्प अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर लिखित रूप से देना अनिवार्य होगा।
- उपर्युक्त किसी भी सहायक अभियंता के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित सहायक अभियंता को प्रदत्त वित्तीय उन्नयन संबंधी लाभ को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी।
- यह वित्तीय उन्नयन व्यक्तिगत होगा, जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा।
- नियंत्री पदाधिकारी वेतन निर्धारण एवं देय लाभों के भुगतान से पूर्व संबंधित सहायक अभियंताओं के सेवा में टूट इत्यादि, जिससे वित्तीय उन्नयन प्रभावित होता हो, की जाँच कर संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान करेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

  
(मनोज कुमार)

सरकार के उप सचिव  
क०प०उ०



ज्ञापांक-5/अ0प्र0-01-02/2019

1267

/पटना दिनांक-25.2.2020

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि संबंधित नियमावली एवं परिपत्रों में निहित प्रावधानों के अनुसार जाँच कर यथानुमान्य वेतन पूर्जा निर्गत किया जाय।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-5/अ0प्र0-01-02/2019

1267

/पटना दिनांक-25.2.2020

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव ग्रामीण कार्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग/वित्त विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी-02, 03 एवं 04/संबंधित सहायक अभियंता एवं आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

कम  
Rijg